(1)

(33)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016/निगरानी R 4345 II-16

श्री. ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़
द्वारा आज दि. 26/12/16 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
875
26-12-16

नक्टू पुत्र श्री किशनलाल धाकड,
निवासी ग्राम दीघोरी, तहसील कौलारस,
जिला – शिवपुरी (म0प्र0)

-- आवेदक

बनाम

1- रामगिर पुत्र श्री गजराजसिंह गोस्वामी,
निवासी – ग्राम मानीपुरा हाल ग्राम
कार्यालय – तहसील कौलारस, जिला
शिवपुरी (म0प्र0)

ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़
26/12/16

2- शीलाबाई पत्नी श्री राजेश गोस्वामी,
निवासी ग्राम मानीपुरा, हाल कौलारस,
जिला – शिवपुरी (म0प्र0)

-- अनावेदकगण

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.11.2016 पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना कौलारस, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 84/14-15 /अपील एवं न्यायालय नायब तहसीलदार कौलारस के सीमांकन प्रकरण क्रमांक 15 /14-15/अ-70 पारित आदेश दिनांक 31.03.2015

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यहकि, आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूमि सर्वे क्रमांक 1152/मिन-2 एवं 1152/मिन-3 है, जिस पर आवेदक काबिज होकर कृषि कार्य कई वर्षो से करता चला आ रहा है। आवेदक के स्वामित्व के भू-भाग से लगा हुआ, अनावेदकगण की भूमि सर्वे क्रमांक 1149 एवं 1151 स्थित है।

(3)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निगरानी–4345–दो/16 जिला – शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.10.2017	आवेदक अधिवक्ता श्री एस.एल. धाकड़ एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह निगरानी इस न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है वह अंतिम आदेश है और उसके विरुद्ध आवेदक को सक्षम न्यायालय में अपील करना चाहिए थी। प्रकरण का अवलोकन किया एवं अनुविभागीय अधिकारी के आलोच्य आदेश का परिसीलन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से यह स्पष्ट है आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 31.03.2015 के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष की गई है, जो उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है। अनुविभागीय अधिकारी का आलोच्य आदेश अपीलीय आदेश है, जिसके विरुद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी इस न्यायालय में प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है। आवेदक सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। प्रशासकीय सदस्य	